

सूचना अधिकार नियम 2005 की भाग 4(1)(बी) के अन्तर्गत उपलब्ध जानकारी
सूचना अधिकार नियम 2005 भाग 5 (1) के अन्तर्गत आने वाले पदाधिकारियों की सूची

सूचना अधिकार नियम 2005 की भाग 4(1)(बी) के अन्तर्गत उपलब्ध जानकारी

- 1 सीमा शुल्क
- 2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
- 3 सेवाकर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय सूरत 1 द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना -

भारत सरकार

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर आयुक्त का कार्यालय, सूरत 1

सार्वजनिक सूचना नम्बर 03/2007

दिनांक 22-01-2007

विषय- सूचना अधिकार नियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन- पत्र का शुल्क अदा करने का तरीका ।

सूचना अधिकार नियम 2005 की धारा भाग 6(1) की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है । सूचना अधिकार नियम 2005 (नियत शुल्क एवं व्यय) के लिए नियम नम्बर 3,4,5, का भी साथ में पढ़ें । वित्त मन्त्रालय, राजस्व विभाग का परिपत्र नम्बर 28/02/06 फा नम्बर 12/36/08-समन्वय, दिनांक 28-06-06 द्वारा परिसंश्रित की गई भारत सरकार के राजपत्र (जी एस के 294 ई) दिनांक 18-05-06 द्वारा जारी की गई डी ओ पी टी अधिसूचना नम्बर 34012/8(एस) /2005 स्था. (बी) दिनांक 17-05-06 का सन्धान भी देखीये, जिसके अनुसार जो कोई व्यक्ति सूचना अधिकारी से सूचना चाहता है वह नियत आवेदन-पत्र का शुल्क स्वयं जमा करके पावती प्राप्त करे अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंक चैक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर का लेखा अधिकारी के नाम जमा कर सकते हैं ।

अतः सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र के साथ नियत आवेदन शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंक चैक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर का इस आयुक्तालय के सहायक मुख्य लेखा अधिकारी के नाम बनवा कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर सकते हैं ।

राकेश मिश्रा

सी पी आई ओ एवं आयुक्त

दिनांक 22-01-07

फा सं VIII/9-2/CUS/Tech/06-07

प्रतिलिपि प्रेषण

- 1 मुख्य आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवमसीमा शुल्क वडाद्वारा ।
- 2 केन्द्रीय उत्पाद एवमसीमा शुल्क वडाद्वारा एक-दसूरत दमन/वापी
- 3 केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी एवमसहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवमसीमा शुल्क एवमआयुक्तालय सूरत एक के सभी मण्डलों (एक, द, तीन, चार, पाँच)।
- 4 तब अधीक्षक क निवेदन के साथ वेब साइट में रखने क भी दिया है ।
- 5 सहायक मुख्य लेखा अधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवमसेवाकर आयुक्तालय सूरत 1
- 6 सूचना पटल पर ।